

[Shri Surendra Mohanty]

can't we send a senior officer of the rank of Ambassador there.

Sir, if you look at the Annual Report immobility and *status quo* are hunting the activities of the External Affairs Ministry. It has perhaps left no scope for the Foreign Minister to operate with flexibility. If you look at page 2 of the Report in this fastly changing world of increasing tempo what have we done: "In Asia and Africa too the outstanding characteristic of the year, it may be, is the fresh emphasis on cooperation for mutual benefit." What was that mutual cooperation? What was the quality and valve of that cooperation when in the Afro-Asian Conference not a single voice had been raised in favour of India on the issue of Bangla Desh? Regarding South East Asia the Report says there is increasing measure of understanding with the powers of the South East Asian countries. What is that measure of understanding? Who has supported you on the Bangla Desh issue. Now Malaysia's ex-Prime Minister, as Secretary of the Islamic Powers, is making pilgrimage to Islamabad. Ceylon is silent. Indonesia is ambivalent. What measure of understanding have you achieved?

About China, we are in the habit of wringing our hands in despair and talking of platitudes which take us neither here nor there.

In conclusion I would only say what my hon. friend, Shri Atal Bihari Vajpayee, has so eloquently emphasized. A nation of beggars can have no independent foreign policy. The only image that we have cast across the international scene is that of rosary beads and a begging bowl. But this will not carry us any further. You have to develop nuclear power; you have to develop your military striking power and you have to be self-sufficient economically and militarily before you can have a voice which can count anything in foreign affairs.

With these words, though it is meaningless to support or oppose these Demands—it is merely formalistic—I beg of the House and of the Foreign Minister to consider dispassionately and satisfy the House whether the policy of non-alignment has served any foreign policy objective and any of our national interests and whether it is going to lead us anywhere.

[SHRI KADAR (Bombay-Central South):

Mr. Chairman, I am thankful to you for giving me this time but I wonder whether I will be able to do justice in half a minute or two minutes which are left.

17.29 hrs.

[SHRI K. N. TIWARY in the Chair]

I would like to say only one thing that we should not ignore the areas which are still in Africa and other places where there should be continuous contact by us. As we know, recently they have achieved their independence, although it may not be called complete independence. Recently when I was in Africa I had seen that the people there are desiring and are looking forward to cooperation and guidance from our country. So far as the diplomatic level is concerned there are diplomatic contacts but I would suggest that there should be political contacts also. That could be done by sending missions to different countries at different levels.

MR. CHAIRMAN: The hon. Member may continue tomorrow.

17.30 hrs.

#### HALF-AN-HOUR DISCUSSION *Re* : LAY-OFF OF WORKERS OF GANESH FLOUR MILLS, DELHI

श्री कान्ति भूषण (दक्षिण दिल्ली) : सभापति महोदय, प्राज मैं गणेश फ्लाअर मिल, जो दिल्ली में बहुत पुराना कम्पन है और 1891 में दिल्ली में चल रहा है, उसके बारे में चर्चा उठा रहा हूँ।

इस कम्पनी ने सबसे पहले मजदूरों को बोनस दिया और जो इसके शेयर होल्डर्स हैं उनको काफी फायदा यह देती रही। इसी बीच में इस कम्पनी के मालिकों ने एक पंखा बनाने का और एक साइबेट (सली से तेल निकालने का) प्लांट लगाया। उसमें कुछ बाटा होने लगा। उन्होंने एन० घाई सी० से 16 लाख रु० का लोन लिया। महाराष्ट्र स्टेट फाइनेंस कारपोरेशन से लोन लिया। बहुत ही जगह से लोन

लिया, फिर भी वह चाटा पूरा नहीं कर सके। उसके बाद मोरारका थुप के सौदागर उनके पास पहुँचे। उन्होंने कहा थाप को पैसे की कमी है, हम किस लिए हैं। थाप ले लीजिये 40,50 लाख ६० और हमको मूद देते रहिये। वह गरजसन्द तो थे ही, उन्हें क्या पता था कि ईस्ट इंडिया कम्पनी की तरह हमारे घर में एक दूसरा डकैत डाकू आ रहा है। उन्होंने पैसे ले लिये। जैसे ही यह मुगारका बंधु पहुँचे उसके बाद सेन्ट्रल बैंक ने कुछ शेरर ले रखे थे इस कम्पनी के वह उममें खरीद लिये और डाइरेक्टर अपने तोड़ लिये। धीरे-धीरे उसका नतीजा यह हुआ कि उस कम्पनी पर पूरा कब्जा कर लिया। जो छोटे-छोटे गरीब लोगों के बहुत से शेयर्स थे, विद्वायें थीं उनके शेयर्स थे, सब पर कब्जा कर लिया। इतना ही नहीं किया, उन्होंने माल खरीदने और बेचने का भी जो काम था उसके बारे में कहा कि इतना कमिशन मोरारका कम्पनियां लेगी। मोरारका कई भाई हैं। एक श्री गोकल चन्द मोरारका है। दूसरे श्री जी० के० मुरारका है और श्री जी० डी० मुरारका है और ऐसी बहुत सी कम्पनियां हैं जैसे डब्लू० एच० ब्रांडे कम्पनी लि० है शक्ति ट्रेडिंग कम्पनी है, अपोलो टेक्सटाइल्स मिल्स हैं, ग्राम्सस्ट्रांग स्मिथ है और ऐसी बहुत सी कम्पनियां हैं। इन मुरारकाओं ने कम-से कम करोड़ों रुपया इन्कम टैक्स का देना है। वे खुद सरकार के कज में हैं लेकिन उसके बाद भी उन्होंने इन कम्पनियों को कर्जा दे कर उनका गला पकड़ लिया है और वे मजदूरों के प्रोविडेंट फंड तक ला गये। माननीय मन्त्री जी, मैं आप से कहना चाहता हूँ कि ऐसा करना इनका पेशा हो गया है। शोलापुर टैक्सटाइल्स मिल्स का ये प्रोविडेंट फंड हजम कर गये और इनको सजा हुई छः महीने की-बाप-बेटे को सजा हुई-लेकिन जैसा कि पुरानी कहावत है चमड़ी चली जाए लेकिन दमड़ी न जाए, मुरारका बंधु जेल काट आए लेकिन पैसा नहीं दिया। यहाँ भी जो पंखे बनते हैं और यहाँ जो एक नं० का वनस्पति का

प्लान्ट था, जो देश में सबसे पहले बना, उसका प्रोविडेंट फंड वे गोल कर गये और बहुत सी कम्पनियों को उन्होंने ठग लिया। पैसा उधार देते हैं और पुराने जमाने में जैसा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कम्पनी ने किया, एक बार जो फंस गया तो पूरी कम्पनी को ले लेते हैं और काम बन्द करा देते हैं। इनकी खरीदी हुई बहुत सी सिक मिनों को भारत सरकार ने खरीदा है और वे चल रही है और इस तरह से इनको गवर्नमेंट को बहुत सा पैसा देना है। गवर्नमेंट से लोन मांगी कम्पनियों ने ले रखा है और उसके बाद भी ये दूसरी कम्पनियों को पैसा उधार देते हैं और फिर उनको ले लेती हैं और कारखानों को बन्द करा देती हैं। इनका यही काम है और वे सारा जीवन यही करते रहे हैं, लेकिन मैं मन्त्री महोदय से कहना चाहता हूँ कि जहाँ मजदूरों के हितों के साथ खिलवाड़ होता हो, उसे हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। दिल्ली में एक डेढ़ हजार मजदूर हैं जो कारखानों के बन्द होने से बंकार हो गये। कारखाने बड़े प्राफिट में चल सकते हैं और उन में नुकसान होने की कोई बजह नहीं है। टूट यूनिन के सदस्य ज्यादा वक्त देने को भी तैयार है और वे चाहते हैं कि कारखाने बन्द न हों लेकिन परेशान करके उनको बाहर निकाल देते हैं और कुछ इधर-उधर की बात कर देते हैं जब तनख्वाह देने की बात की जाती है। मजदूर चाहते हैं कि कारखाने चलें और उसके लिए वे कहते हैं कि सरकार इनको ले ले। जब सरकार के लेने की बात आती है तो वह कहती है कि दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन नहीं लेने देता है। पिछली बार मिनिस्टर साहब ने कहा कि उन्होंने इनके लेने के लिए रिक्मेन्ड नहीं किया। दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन की पालामी अपनी है। कोई इधर ऊधर का भूठा-सच्चा मामला हो जैसे किसी ट्रस्ट का या मंदिर का मामला हो, तो वह कुछ कर भी सकता है। लेकिन मजदूरों के हितों का जहाँ तक सवाल है, दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन उस को नहीं करेगा। यहाँ जो अयोध्या काटन मिल है

[श्री गणेश भूषण]

उसको सरकार ने ले लिया है। उसे दिल्ली प्रशासन को चार लाख रुपये बिजली के देने हैं। वे कहते हैं कि पहले बिजली का पैसा दे दो। इस तरह से दिल्ली के बहुत से सस्थानों को नुकसान हो रहा है। दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन से हमें इसके बारे में बहुत ज्यादा प्रशासनी नहीं करनी चाहिये। मैं तो यह कहूंगा कि जो मजदूरों का हित है और दिल्ली में जो दिल्ली वालों का हित है, उसको भारत सरकार को देखना चाहिए, क्योंकि जो पैसा हम दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन को देते हैं, उस की मारी जिम्मेदारी, दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन की मारी जिम्मेदारी हम लोगों पर ही पानी है, जैसा कि पहले भी मैंने कहा था कि शादी का घोड़ा होता है, लगाम उसकी किमी के हाथ में होती है और दुन्हा आप बने हुए है। उनका क्या, वे दुन्हे को वहीं दूसरी जगह गुमराह करके भी ले जा सकते हैं। इसलिए आप जो मजदूरों के हितों के लिए कमिटेड है, उनके काज के लिए आप कमिटेड है उस दिशा में आपका कार्य करना चाहिए। इसलिए मैं आप में निवेदन करना चाहता हूँ कि मुरारकाज पर जो बहुत से चीटिंग के केसेज चल रहे हैं, सी० बी० आई० इनकी इन्क्वायरी करें और जो आपका विभाग है, मजदूरों का जो विभाग है, क्योंकि हमारे देश का भविष्य मजदूरों पर निर्भर है, वह इन लोगों की दिक्कतों को दूर करने की ओर ध्यान दे और वह उन लोगों के खिलाफ जो हम ढंग से कारखाने खरीद कर और लोन दे कर किम तरह से कारखाने स्वप्न करने की कोशिश कर रहे हैं, सस्त कार्यवाही करें। आपके श्रम विभाग के अधिकार बहुत कम हैं और जिम्मेदारी बहुत। देश में अगर प्रोडक्शन बढ़ाना है और देश को आगे ले जाना है, तो मजदूरों के अधिकार सुरक्षित रहने चाहिए और आपके इस विभाग के अधिकार बढ़ने चाहिए। अभी बहुत सी जगह ट्रेड यूनियनों को रिकग्नीशन नहीं मिला है, बहुत सी जगह आपके हाथ नहीं पहुँच पाए हैं और जो नेबर कोर्ट्स हैं वे भी ऐसी हैं जिनके

कानून ऐसे हैं जो कि पुराने बहत के हैं अरी ऐसे कानून नहीं हैं जो कि एक समाजवादी देश में होने चाहिए। मैं आज आप से यह दरखास्त करना चाहता हूँ कि एक तो सरकार इसको अपने हाथ में ले ले, दूसरे इन मुरारका बार्दर्स की इनकी जितनी कम्पनियों का मैंने जिक्र किया, सी० बी० आई० द्वारा जांच कराएँ, और ये कारखाने बहुत जल्दो खलाए जाएँ। यही मेरी आप में प्रार्थना है।

श्री अमरनाथ बबला (दिल्ली सदर) : मभापति महोदय, मैं यह जानना चाहता हूँ कि कम्पनी ने इनका ले आफ किया या 22 मार्च से लेकर 5 मई तक। उसके बाद आज तक नेबर विभाग ने इन मजदूरों के लिए क्या किया है जिनको कि अभी तक तनक्वाह नहीं मिली है, इनके कच्चे स्कुलों की फीस नहीं दे मके हैं? को। से कदम आपके विभाग ने उठाए हैं जिमसे कि इन मजदूरों की तकनीके दूर हों और इनको तनक्वाह मिले ?

श्री रामाबतार शास्त्री (पटना) : मभापति महोदय, यह कारखानों के ले आफ करने की बीमारी कोई नहीं है, यह बहुत पुरानी है और जहाँ भी मालिक ममभते है वहाँ बिना किमी स्कावट के या तो ले आफ कर देते हैं, तालाबन्दी कर देते हैं या मिल बंद कर बेते हैं तो इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं सबसे पहली बात यह जानना चता हूँ कि मालिकों की नियत इन कारखानों को खलाने की है या नहीं और अगर नहीं है तो इसके पीछे कौन से कारण हैं।

दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार किसी कारखाने में और इस फ्लोर मिल में काम करने वाले मजदूरों को बेकारी की मार से बचाने के लिए मालिकों द्वारा तालाबन्दी करने या बन्द करने की नीति को गैर कानूनी घोषित करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों ?

तीसरी बात—अभी कहा गया कि सरकार इस कारखाने को हाथ में ले ले और जब भी कोई कारखाना बन्द होता है तो यही कहा जाता है, कहीं का भी कारखाना हो। तो हम बारे में मैं यह जानना चाहता हूँ कि इस बारे में सरकार हीना हवाना क्यों कर रही है? इसके क्या कारण हैं?

आखरी प्रश्न, सभापति महोदय, मेरा यह है कि प्रश्न के उत्तर में यह स्वीकार किया गया है कि 30 अप्रैल तक का वेतन दिया गया है। मजदूर गरीब होते हैं उनको रोज का खाना चाहिए, मई का वेतन अभी तक नहीं दिया गया है। मई का वेतन दिया जाए, इस बारे में अभी तक कोई कार्यवाही की है और अगर आप ने कोई कार्यवाही नहीं की है तो हम वेतन की रकम दिलाने के लिए आप क्या करना चाहते हैं?

श्री जगेश्वर प्रसाद यादव (कटिहार) : सभापति जी जहाँ तक मुरारका का सम्बन्ध है, मेरा कहना यह है कि उन्होंने जानबूझ कर इस कारखाने को घाटे में परिणत कर दिया है। मुरारका ने दो सौ करोड़ रुपये की पूंजी बैंक में कर्ज लेकर या किसी दूसरे ढंग से ली यह सर्वविदित है, लेकिन उन्होंने मेल एण्ड परचेज में दोनों में कमीशन तो लेना शुरू कर ही दिया, उसके अलावा इन्स्ट भी लेना शुरू किया और इसके कारण मुनाफा कम होने लगा। इस कारण वहाँ पर मैनेजमेंट ने तालाबन्दी कर दी और वहाँ के मजदूरों को बेकार कर दिया। क्या मन्त्री महोदय को इस बात की जानकारी है?

दूसरी बात सभापति महोदय, मैं यह जानना चाहता हूँ दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन ने जिसके बारे में अभी श्री शशि भूषण जी ने बताया कि उन्होंने इस बारे में रिकमेंड नहीं किया था और इसलिए सरकार उसको अपने कब्जे में नहीं ले सकती, लेकिन रिसेन्टली क्या दिल्ली

एडमिनिस्ट्रेशन ने मजदूरों के हितों के संरक्षण के लिए, जो मजदूर वहाँ पर बेकार हो गये हैं और बेकारी के चक्कर में हैं और जिनके बच्चे आज दाने-दाने को मोहताज हो रहे हैं, सरकार को रिकमेंड किया है कि वह इस कारखाने को अपने हाथ में ले ले और मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार मजदूरों के हितों के लिए उस कारखाने को अपने संरक्षण में लेने के लिए कोई कदम जल्दी उठा रही है या नहीं?

श्री टी० सोहन लाल (करोल बाग) : सभापति महोदय, जहाँ तक उस कम्पनी का ताल्लुक है, इस को मुरारका भाइयों ने जानबूझ कर खराब करने की कोशिश की है। आप देखें कि...

सभापति महोदय : माननीय सदस्य सवाल पूछें।

श्री टी० सोहन लाल : मैं यह जानना चाहता हूँ कि अप्रैल, 1970 से अप्रैल, 1971 तक कितने मजदूरों ने कितने दिन काम किया। उस मिल पर जो पांच लाख रुपया प्राविडेंट फंड का बकाया है, उसके बारे में गवर्नमेंट ने क्या सोचा है? जैसा कि आप जानते हैं, इसमें से आधा पंसा मजदूरों का होता है और आधा कम्पनी देती है। इसके अलावा मिल न जो 20 लाख रुपय का घाटा दिखाया है, उसके बारे में गवर्नमेंट ने क्या सोचा है। जब ये मजदूर एजीटेशन कर रहे हैं, तो, जैसा कि अभी माननीय सदस्य ने बताया है, दिल्ली स्टेट ने इसको लेने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को लिखा है। मेरी जानकारी में तो अभी तक दिल्ली स्टेट ने नहीं लिखा है। मिनिस्टर साहब बतायें कि क्या दिल्ली स्टेट ने लिखा है।

श्री धम और पुनर्बास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : सभापति महोदय, श्री शशि भूषण जी ने जो तथ्य गणेश फ्लोर

## [श्री बालगोविन्द बर्मा]

मिल के बारे में सदन के सामने रचे हैं, उनमें से बहुत तो मरय हैं। उनके बारे में गवर्नमेंट भी काफी चिन्तित है। चूंकि इस विषय का सीधा सम्बन्ध दिल्ली प्रशासन से है—हो सकता है कि दिल्ली प्रशासन इस सम्बन्ध में कोषाप-रेषन दे रहा हो या न दे रहा हो; इसके बारे में हम नहीं कह सकते—, इसलिए बहुत सी बातों के लिए हमें दिल्ली प्रशासन पर निर्भर रहना पड़ना है। जो भी सूचनाएँ हमें मिलती हैं, वे दिल्ली प्रशासन से ही मिलती हैं और उसी के आधार पर हमें कार्यवाही करनी पड़ती है।

**श्री धरम नाथ चावला :** मवाल यह है कि क्या इस मामले का तान्त्रिक दिल्ली प्रशासन के उम विभाग में है जो रिजर्व्ड मजदूर है, या इसका तान्त्रिक मेट्रोपालिटन कमिशन से है।

**श्री बालगोविन्द बर्मा :** यह त्रिनकुल मत्य है कि इस कम्पनी को हालत खराब कर दी गई है—या है। इसकी हालत आज से नहीं, बल्कि बहुत दिनों से खराब है। जब से गवर्न-मेंट को, डिपार्टमेंट ऑफ कम्पनी प्रोफेसर्स को, इस बारे में सूचना मिली है, तब से बराबर हम पर निगाह रखी जा रही है। उसके मामलों की जांच-पड़ताल हो रही है। जब कभी भी इस के बारे में इन्स्पेक्शन कराया गया, तो यह मालूम हुआ कि इस का काम बड़े खराब ढंग में चल रहा है और इस की व्यवस्था ठीक नहीं है। इस कम्पनी का जो मैनेजर-कम-संक्रैटरी था, उसने अपने निजी स्वार्थ के लिए काफी लाभ उठाया है, जिसके कारण इस मिल की हालत खराब हुई है।

यह मिल अच्छे प्रकार में कार्य नहीं कर रही थी और इसीलिए 22 मार्च, 1971 को उन्होंने 250 वर्कर्स को थोड़े दिनों के लिए काम से प्रलग कर दिया। इस पर वर्कर्स ने दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन को लिखा। दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ कार्यवाही शुरू की। उसके

बाद वर्कर्स और मिल मैनेजमेंट के बीच में कुछ संधि हो गई, जिसके आधार पर मैनेजमेंट ने वर्कर्स को 30 अप्रैल, 1971 तक का पूरा वेतन दे दिया, यद्यपि जैसा कि उन्होंने बाद में बताया, कुछ ऐसी प्राबिजन थी कि वे पूरा वेतन देने के लिए बाध्य नहीं थे। लेकिन अच्छा हुआ कि उन्होंने पूरा वेतन दे दिया।

**श्री रामावतार शास्त्री :** ले ग्राफ में पूरा वेतन मिलना ही है।

**श्री बालगोविन्द बर्मा :** उसके बाद उन्होंने 5 मई को ले आफ खरम कर दिया, लेकिन उन्होंने वर्कर्स को काम फिर भी नहीं दिया। वर्कर्स वहाँ बराबर घाये और बैठे रहे।

दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन ने उन से पूछा कि क्या वे फॅक्टरी को बिल्कुल बन्द कर देना चाहते हैं, या फिर चलाना चाहते हैं; उनकी क्या मंशा है। मैनेजमेंट ने बताया कि उनकी मंशा यह नहीं है कि वे फॅक्टरी को बन्द कर दें, वे फॅक्टरी को चलाना चाहते हैं। उन्होंने कुछ कारण भी बताये, जिनकी वजह से वे फॅक्टरी को नहीं चला पा रहे हैं। उन्होंने बताया कि रा मैटीरियल, कच्चे माल, की शार्टेज है, वह हमें कम मिल रहा है और प्राइवशन कम हो रहा है। उन्होंने कहा कि कुछ व्यापारिक कठिनाइयों और परेशानियों के कारण हम प्राइवशन नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने फिनांशल ट्रबल का भी जिक्र किया।

लेकिन इससे पहले उन से कहा गया कि क्या वे फॅक्टरी को चलाने या नहीं, न उन्होंने ले ग्राफ डिक्लेयर किया है और न क्लोजर, वर्कर्स को पूरी तन्स्वाह मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हम पैमें की व्यवस्था कर रहे हैं और हम उन को तन्स्वाह देना चाहते हैं। जब दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ और कार्य-वाही करने के बारे में सोचा, तो उन्होंने फिर वर्कर्स के साथ मुषाहिदा किया और उन को 30 मई तक की तन्स्वाह दे दी। लेकिन उन्होंने

30 मई तक की तन्स्वाह सिर्फ 200 वर्कजं तो ही, जब कि 50 वर्कजं बाकी रह गये। जून की तन्स्वाह उन पर बाकी थी और जुलाई की तन्स्वाह बाकी चल रही है। जब उन का ध्यान फिर प्रकटित किया गया, तो उन्होंने कहा कि हम पैसे की व्यवस्था कर रहे हैं, और जैसे ही व्यवस्था हो जायेगी, हम फैक्टरी भी चलायेंगे और वर्कजं की तन्स्वाह भी देंगे। वे यह नहीं कहते कि हम फैक्टरी को बन्द कर देंगे। वे कुछ एसेट्म बेचना चाहते थे।

**श्री शशि भूषण :** बेच रहे हैं।

**श्री बालगोविन्द बर्मा :** नहीं, वे एसेट्म बेचना चाहते थे। जब यह बात डिपार्टमेंट आफ कम्पनी प्रफेसर्स के नालेज में आई, तो उन्होंने हाई कोर्ट में एक रिट दाखिल की जिस में प्रार्थना की गई कि (1) प्रिजेंट बोर्ड आफ डायरेक्टर्स को हटा दिया जाये, (2) एडमिनिस्ट्रेटर या एडमिनिस्ट्रेटर्स प्रथवा बोर्ड आफ डायरेक्टर्स नये एपायंट किये जायें, जो सूचारु रूप से फैक्टरी की व्यवस्था चलायें और (3) कम्पनी को एसेट्म बेचने की मनाही कर दी जाये।

इस पर हाई कोर्ट ने रिट दाखिल कर ली है और आदेश दिया है कि कम्पनी अपने कोई भी एसेट्स नहीं बेच सकती। अब मैनजमेंट की तरफ से कहा जाता है कि चूंकि हम को एसेट्स बेचने से मना कर दिया गया है, इस लिए हम मजबूर हैं, हम पैसा कहां से देंगे।

इन सब बातों को देखते हुए यह कोशिश हो रही है कि क्या इस मिल को सरकार द्वारा ले लिया जाना चाहिए, जैसा कि अभी सभी माननीय सदस्यों ने इच्छा प्रकट की है। इसको लेने में काफी समय लगता है।

**श्री शशि भूषण :** क्या दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन ने यह रिकमेंड किया है ?

**श्री बालगोविन्द बर्मा :** अभी नहीं किया है। दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन इस की जांच-पड़ताल कर रहा है। वह अपनी रिकमेंडेशन भेजेंगे। लेकिन इस में दो मुख्य मंत्रालयों का संघ है। इस का सम्बन्ध है एक तो मिनिस्ट्री आफ फूड ऐंड ऐग्रीकल्चर से और दूसरा है मिनिस्ट्री आफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से। पहले तो जो रिकमेंडेशन दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन से आयेगी वह एग्जामिन की जायेगी और प्रोसेस की जायेगी मिनिस्ट्री आफ फूड ऐंड ऐग्रीकल्चर में और फिर वह अपनी रिकमेंडेशन देगे मिनिस्ट्री आफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को जो कि उसके बाद उस पर एक्शन लेंगे...

**श्री शशि भूषण :** कौन सी मिनिस्ट्री टेक अप करेगी ?

**श्री बालगोविन्द बर्मा :** मिनिस्ट्री आफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट।

**श्री सतपाल कपूर :** अगर दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन जो कि जनसंघ वालों के हाथ में है और सरमायेदारों के हाथ में है वह रिकमेंड न करे तो क्या करेंगे आप मजदूरों की भलाई के लिए ? (व्यवधान)...

**श्री बालगोविन्द बर्मा :** दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा नहीं है कि यूनिवर्सल कोई काम करे क्योंकि यह बात संट्रल गवर्नमेंट की नालेज में आ गई है संट्रल गवर्नमेंट इस बात में संतुष्ट हो गई है कि इस फैक्ट्री का काम पब्लिक इंटेरेस्ट में नहीं चल रहा है इसलिए जरूरी है कि इस की जांच पड़ताल की जाय। उसके लिए पहले तो एक कमेटी नियुक्त करनी पड़ेगी इन्वेस्टिगेशन कमेटी जो जांच करेगी और सुझाव देगी। तत्पश्चात् ही कार्यवाही की जा सकती है।

मेम्बरस ने काफी इस बात पर जोर दिया है कि इस मिल को गवर्नमेंट अपने हाथों में ले। हम उन की भावनाओं का धादर करते हैं और

[श्री बालगोविन्द वर्मा]

उन की भावनाओं को हम फूड ऐंड ऐग्रीकल्चर मिनिस्ट्री को भेज देंगे।

श्री ज्ञानिन्द्र चूबरण : सी० बी० घाई० की एन्क्वायरी की सिफारिश कर दीजिए।

श्री बालगोविन्द वर्मा : इंडस्ट्रियल इन्वेस्टिगेशन कमेटी नियुक्त होने दीजिए। पहले रिपोर्ट आ जाय दिल्ली ऐडमिनिस्ट्रेशन की... (व्यवधान)... वह रिपोर्ट को रोक नहीं सकते क्योंकि यह ऐसा मामला है कि जो उन्हीं तक सीमित नहीं है। इसमें लगभग तीन सौ वर्कर्स के जीवन का प्रश्न है। वह काम चाहते हैं, मैनेजमेंट काम नहीं दे रहा है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि वह जैसा चाहें वैसा करते रहें।

श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद धारब : वह पिक ऐंड चूब पालिसी के आधार पर पैसा दे रहे हैं, इस के लिए आप क्या कर रहे हैं ?

श्री बालगोविन्द वर्मा : माननीय सदस्यों को मैं धारवासन देना चाहता हूँ कि सरकार हर प्रकार से अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति सचेत है और वह सभी समुचित कदम उठाये जा रहे हैं जो उठाये जान चाहिए।

श्री ज्ञानिन्द्र चूबरण : इन्क्वायरी सी बी घाई एन्क्वायरी।

श्री बालगोविन्द वर्मा : सी० बी० घाई० एन्क्वायरी भेरे हाथ में नहीं है। लेकिन आपकी भावनाओं को मैं सम्बन्धित विभाग तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा।

तालाबन्दी गैरकानूनी घोषित करने की जहाँ तक बात है, वह कहते हैं कि तालाबन्दी तो उन्होंने की नहीं है। वह कहते हैं कि प्लासेमेंट। न प्लोजर है... (व्यवधान)...

श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद धारब : उनके साथ में जो वर्कर्स हैं उन को पैसा वह दे रहे हैं और पिक ऐंड चूब पालिसी को प्रोत्साहन दे रहे हैं।

श्री टी० सोहन लाल : घण्टे 70 से 71 तक कितने दिन साल में काम हुआ है फॅक्ट्री के घण्टे ?

श्री बालगोविन्द वर्मा : यह तो घाफ हैड बताना बहुत मुश्किल है। घाफ अगर नोटिस देंगे तो बता सकेंगे (व्यवधान)... टोटल नम्बर घाफ वर्कर्स इन इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट 300 है और घनेदर 275 एम्प्लायड इन क्मेरिकल ऐंड मुपग्वाइजरी कंपैमिटी इन फॅक्ट्री एण्ड हैड आर्टिस है; यह इन्फार्मेशन भेरे पाम है। बाकी इन्फार्मेशन जो चाहते हों तो उसके लिए नोटिस देने पर वह मिल सकेगी। जितने भी प्रश्न माननीय सदस्यों ने रखे थे मैं ने उन का जवाब दे दिया है। कोई विज्ञेय बात नहीं रह गई है। प्रश्न में मैं फिर कहना चाहता हूँ कि यह मामला बहुत गंभीर है और सरकार अपनी जिम्मेदारी को समझती है।

श्री डी० एन० तिवारी (गोपालगंज) : वर्कर्स की पे का क्या होगा ? एन्क्वायरी में देर लगेगी। तब तक की पे का क्या होगा ?

श्री बालगोविन्द वर्मा : पे तो मई तक की मिल गई है। वैसे पे के लिए लेबर ट्रिब्यूनल को भी यह मामला मौपे जाने की सम्भावना है कि यह जस्टिफाइड है या नहीं और क्या कार्यवाही इस पर की जाय।

17.5g hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Tuesday, July 20, 1971/Asadha 29, 1893 (Saka).